न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 14/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/14)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. बलविन्द्र सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. जसदीप कौर पत्नी अमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 2. अमनदीप कौर पत्नी बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 3. गुरमेज कौर पत्नी अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 4. वचित्र कौर पत्नी इकबाल सिह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 5. बलजीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 6. बवनदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 7. मनजीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 8. रवनीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 9. हरमन्दर सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर 10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 06.02.2024

उपस्थितः 1.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- **दिनांकः 05.01.2026**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 36 एफ, पटवार मण्डल बंडिगा की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 84/82 एवं 109/82 में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव व परिवार के सदस्यगण है। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का आपसी सहुलियत के लिए पिछले 10-15 वर्षो से मौखिक बंटवारा किया हुआ है। इस कारण वादी का कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 जसदीप कौर के नाम दर्ज भूमि मुरब्बा नम्बर 38, 39, 40, 75/14, 75/22, 75/45 में वर्णित रकबा में से 0.980 हैक्टर भूमि पर चला आ रहा है। वादी के नाम दर्ज खाता संख्या 109/253 में मुरब्बा नं0 20 में दर्ज रकबा 1.265 हैक्टर में से 0.980 हैक्टर भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 का चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जसदीप कौर मौखिक बंटवारा में प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादी मौखिक बंटवारा में आदान प्रदान कृषि भूमि के अनुसार अपनी भूमि पर कब्जा काश्त किए हुए है, लेकिन उक्त भूमि का आज तक विधिवत किलावाईज विभाजन नहीं हुआ है और वादी के कब्जा काश्त का रकबा अलग-अलग खाता में दर्ज है। इस कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा का अन्य प्रतिवादीगण से जोत विभाजन करवाकर, अपने नाम से राजस्व अभिलेख में एकल खाता दर्ज करवाना चाहता है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विधिवत् विभाजन करवा लेते है, तो प्रतिवादीगण संयुक्त खाता में भूमि होने एवं समय का अभाव कम होने का बताकर, असमर्थता का हवाला देकर आज तक टाल-मटोल करते रहे है। आज से 15 रोज पूर्व वादी ने अन्य प्रतिवादीगण से पुनः आग्रह किया कि हम मौखिक बंटवारा के अनुसार प्राप्त हिस्सा का अंकन अपने नाम दर्ज करवाकर, जोत विभाजन करवा लेवे, ताकि भविष्य में असुविधा कारित न हो, तो समस्त प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार हो गये है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर बंटवारानामा अनुसार पक्षकारान का विधिवत जोत विभाजन करवाया जाकर खाता व लगान अलग से कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम नायक उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर बंटवारानामा में प्राप्त भुमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किए जाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का वादपत्र स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 36 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 84/84 के मुरब्बा नम्बर 38, 39, 40, 75/14, 75/22, 75/45 की 9.798 हैक्टेयर, खाता संख्या 109/82 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने पंत्राक 4136 दिनांक 30.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि चक 36 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 84/84 के मुरब्बा नम्बर 38, 39, 40, 75/14, 75/22, 75/45 की 9.798 हैक्टेयर, खाता संख्या 109/82 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	बलविन्द्र सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। (0.980 हैक्टेयर)	36 एफ	38	4/2 5 6 7/1 15 16	0.202 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.050 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.044 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.68 1.89 1.89 0.42 1.89 0.37
2	जसदीप कौर पत्नी अमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर (1.265 हैक्टेयर)	36 एफ	20	4,6 15,16 25	0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	4.20 4.20 2.10

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

बलविन्द्र सिंह बनाम जसदीप कौर आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 14/2024

निर्णय दिनांक:-05.01.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड के पेश होने पर आदेश दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि चक 36 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 84/84 के मुरब्बा नम्बर 38, 39, 40, 75/14, 75/22, 75/45 की 9.798 हैक्टेयर, खाता संख्या 109/82 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	बलविन्द्र सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। (0.980 हैक्टेयर)	36 एफ	38	4/2 5 6 7/1 15 16	0.202 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.050 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.044 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.68 1.89 1.89 0.42 1.89 0.37
2	जसदीप कौर पत्नी अमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर (1.265 हैक्टेयर)	36 एफ	20	4,6 15,16 25	0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	4.20 4.20 2.10

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 06.01.2026 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	250	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**254**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक: 06.01.2026

क्रमांक: रीडर/2026/08

प्रतिलिपि:- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)